

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 09/2020 RCMS 2020/00017

वादीगण

1. गोपीराम पुत्र लिछमणराम जाति कुमावत उम्र 39 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)
2. पटवारी हल्का पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख मे लिपिकीय त्रुटी सुधार हेतु अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक :- 17.02.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय भूमि प्रार्थी की खातेदारी व हक हिस्से की सह खातेदारान के साथ आई हुई है, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पूर्व में अपने पिताजी के नाम से आई हुई थी उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र गोपीराम के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज हो गया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम गोपीराम के स्थान पर गोपाल दर्ज कर दिया जो कि एक हल्का पटवारी द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटी थी तथा उक्त नाम गोपाल ही राजस्व अभिलेख में आज दिन तक दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थी का सही नाम गोपीराम है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, वोटर आई,डी कार्ड,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस पासपोर्ट, बैंक खाता डायरी, बिजली का बिल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक अंक तालिका आदि में भी गोपीराम है परन्तु राजस्व रेकार्ड में गोपाल दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि में राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं से मिलने वाले लाभो व अनुदानो को प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रार्थी कानाम बैंक एकाउण्ट में भी गोपीराम है,प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में हुई लिपिकीय त्रुटी को सुधार करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थना-पत्र लाना लाजमी हुआ, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय के राजस्व अभिलेख दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र लिछमणराम के स्थान पर गोपीराम कर लिपिकीय त्रुटी में सुधार कर दर्ज किए जाने के आदेश अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दिए जावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में जमाबन्दी नकल सम्वत 2073-2075 की नकल, राशन कार्ड की छाया प्रति,मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति, पासपोर्ट की छाया प्रति, पंजाब नेशनल बैंक पासबुक की छाया प्रति,


उपखण्ड अधिकारी

बिजली बिल की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंक तालिका 1997 की छाया प्रति, लिछमणराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, लिछमणराम के पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

वकील प्रार्थी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई जिसने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा गोपाल के स्थान पर दस्तावेज अनुसार गोपीराम किये जाने का निवेदन किया है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, उपरोक्त प्रस्तुत समस्त तथ्यों में प्रार्थी का नाम गोपीराम पुत्र लिछमणराम ही है, राजस्व रेकार्ड में पिता की मृत्यु पर भरे नामान्तरकरण में गोपाल दर्ज किया गया है जो दुरुस्त काबिल है, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार काबिल होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में गोपाल के स्थान पर गोपीराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 737 रकबा 0.01 हैक्टर गौ.मु.कुआ, खसरा नम्बर 738 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय में खातेदार गोपाल पुत्र लिछमणराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र लिछमणराम शुद्ध प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 17/2/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

